



# कार्यालय जिला पंचायत-कोरिया (छत्तीसगढ़) जिला मिशन प्रबंधन इकाई "बिहान"



Phone no- 07836-232885, Email-Id:- zp-koriya.cg@nlc.in & nrlmkoriya@gmail.com

क्रमांक/ 919 / जि.पं./NRLM/HR/2025

बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/03/2025

## // विज्ञापन //

मिशन संचालक, SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन, सेक्टर-19, द्वितीय तल, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ का आदेश क्रमांक- 3357/वि-6/NRLM/HR&A/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.01.2025 के परिपेक्ष्य में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' अंतर्गत जिला/विकासखंड स्तर पर क्षेत्रीय समन्वयक (अ.ज.जा. मुक्त 01, अ.पि.व. मुक्त 01), लेखा सह एम.आई.एस. सहायक (अनारक्षित मुक्त 01, अ.पि.व. मुक्त 01) एवं डाटा एंट्री आपरेटर (अनारक्षित मुक्त 01) के स्वीकृत संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक- 24.03.2025 कार्यालयीन समय सायं 5.00 बजे तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया (छ.ग.) के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों हेतु जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला कोरिया के वेबसाईट <https://korea.gov.in> पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी कार्यालय जिला पंचायत कोरिया के सूचना पटल पर चरपा किया गया है।

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत कोरिया

पृ. क्रमांक/ 920 / NRLM/HR/ जि.पं./2025

बैकुण्ठपुर, दिनांक 7/03/2025

### प्रतिलिपि:-

1. राज्य मिशन संचालक SRLM प्रकोष्ठ विकास आयुक्त कार्यालय विकास भवन अटल नगर रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदया जिला कोरिया (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट परिसर जिला - कोरिया (छ.ग.) को जिले के वेबसाईट [korea.gov.in](https://korea.gov.in) में अपलोड किये जाने हेतु सूची संलग्न कर प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, जन संपर्क विभाग जिला कार्यालय कोरिया को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत कोरिया

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" अंतर्गत जिला/विकासखंड कार्यालय में संविदा के विभिन्न स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण निम्नानुसार है :-

1-पदों का विवरण-

| क्र. | जिला   | पदनाम/संख्या व आरक्षण                    |                                            |                                    | कुल |
|------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----|
|      |        | क्षेत्रीय समन्वयक<br>(कुल-02 पद)         | लेखा सह एम.आई.एस.<br>सहायक<br>(कुल-02 पद)  | डाटा एण्ट्री ऑपरेटर<br>(कुल-01 पद) |     |
| 01   | कोरिया | अ.ज.जा. (मुक्त)-01<br>अ.पि.व. (मुक्त)-01 | अनारक्षित (मुक्त)-01<br>अ.पि.व. (मुक्त)-01 | अनारक्षित (मुक्त)-01               | 05  |

2-पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण-

| क्र. | पदनाम                             | एकमुश्त मासिक<br>वेतन (रु.में) | शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मेरिट हेतु निर्धारण (कुल अंक 100)                                                                     |     |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विवरण                                                                                                 | अंक |
| 1    | 2                                 | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                     |     |
| 01   | क्षेत्रीय<br>समन्वयक              | 26,490.00                      | <b>शिक्षा</b> - 1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण।<br>2-मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।<br><b>अनुभव</b> - स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्मूलन/आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 01 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय/ अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव। | स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए                                           | 35  |
|      |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए                                          | 20  |
|      |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए                                            | 20  |
|      |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक                 | 10  |
|      |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक | 05  |
|      |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | लिखित/कौशल परीक्षा                                                                                    | 10  |
| 02   | लेखा सह<br>एम.आई.<br>एस.<br>सहायक | 23,350.00                      | <b>शिक्षा</b> - 1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण।<br>2- मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टैली सर्टिफिकेट।<br><b>अनुभव</b> - स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय/ अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।                                                                                                      | स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए                                           | 35  |
|      |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए                                          | 20  |
|      |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए                                            | 20  |
|      |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक                 | 10  |
|      |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक | 05  |
|      |                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कौशल परीक्षा                                                                                          | 10  |



| क्र. | पदनाम              | एकमुश्त मासिक वेतन (रु.में) | शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मेरिट हेतु निर्धारण (कुल अंक 100)                                                                     |     |
|------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विवरण                                                                                                 | अंक |
| 1    | 2                  | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                     |     |
| 3    | डाटा एंट्री आपरेटर | 23,350.00                   | शिक्षा - 1- मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल 12वी. (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं. बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण।<br>2- मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 8000 की (KEY) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)।<br>अनुभव - वांछित शैक्षणिक अर्हता उपरांत संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का शासकीय/अर्द्धशासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव | बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए                                          | 45  |
|      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए                                            | 30  |
|      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक                 | 10  |
|      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक | 05  |
|      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कौशल परीक्षा                                                                                          | 10  |

### नियम एवं शर्तें:-

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 24.03.2025 तक स्वीकार किये जावेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज (स्व प्रमाणित) की प्रति सहित पंजीकृत/स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 24.03.2025 तक सांय 05:00 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाना होगा।
- एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- रिक्त पदों हेतु आवेदन किये जाने वाले लिफाफे में आवेदित पद का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाएंगे।
- आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जायेगी।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
- समस्त प्रमाण-पत्र तथा अंकसूची की स्व प्रमाणित छायाप्रति सत्यापित होना आवश्यक है। स्व प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
- अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल शासकीय/ अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
- आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा। जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही गैर-शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 06 माह का प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल/लिखित परीक्षा के लिये 01 पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं लिखित/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से क्रमशः कम अंक पाने वाले 05 आवेदक को एक वर्ष हेतु प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा यदि भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता कम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।

11. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
12. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
13. शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना होगा।
14. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
15. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उक्त संबंध में कोई भी सूचना नहीं दी जावेगी।
16. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
17. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
18. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
19. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
20. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक- 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
21. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
22. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
23. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
24. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
25. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद, सेवा शर्तों में परिवर्तन एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत कोरिया



**कार्यालय जिला पंचायत कोरिया (छत्तीसगढ़)**  
**छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत**

**संविदा भर्ती**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत- कोरिया (छ.ग.)  
पिनकोड- 497335

आवेदक का  
अभिप्रेमाणित  
पासपोर्ट साईज  
फोटो।

आवेदित पद का नाम: .....

1. अभ्यर्थी का नाम- अ. हिन्दी में .....  
ब. अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षर) .....
2. पिता/पति का नाम- (हिन्दी में) .....
3. लिंग (पुरुष/महिला/तृतीय लिंग)- .....
4. जन्म तिथि अ. अंको में- .....  
ब. शब्दों में- .....  
स. दिनांक 01.01.2025 को आयु वर्ष ..... माह.....दिन.....  
(हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. वर्ग - (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./सामान्य) उल्लेख करें - .....  
(आरक्षित प्रवर्ग का होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
6. पत्राचार का पता (हिंदी में) - .....  
..... (मो.नं.)..... ईमेल.....
7. स्थायी पता-(हिंदी में) .....  
.....
8. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? (हाँ/नहीं)- .....
9. शैक्षणिक योग्यता - (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

| क्र. | परीक्षा का नाम | उत्तीर्ण वर्ष | डिग्री/ डिप्लोमा | बोर्ड/वि.वि. का नाम | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्राप्तांक का प्रतिशत |
|------|----------------|---------------|------------------|---------------------|----------|------------|-----------------------|
|      |                |               |                  |                     |          |            |                       |
|      |                |               |                  |                     |          |            |                       |
|      |                |               |                  |                     |          |            |                       |
|      |                |               |                  |                     |          |            |                       |
|      |                |               |                  |                     |          |            |                       |

10. नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-

| क्र. | कार्यरत पद का नाम | संस्था का नाम एवं पूर्ण पता | कार्यरत अवधि कब से कब तक             | जारीकर्ता का पदनाम | अनुभव पत्र क्रमांक एवं दिनांक |
|------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1    |                   |                             | ..... से .....तक<br>(कुल अवधि) ..... |                    |                               |
| 2    |                   |                             | ..... से .....तक<br>(कुल अवधि) ..... |                    |                               |
| 3    |                   |                             | ..... से .....तक<br>(कुल अवधि) ..... |                    |                               |
| 4    |                   |                             | ..... से .....तक<br>(कुल अवधि) ..... |                    |                               |
| 5    |                   |                             | ..... से .....तक<br>(कुल अवधि) ..... |                    |                               |

11. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) - .....
12. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि - .....बच्चों की संख्या - .....

### घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां सत्य हैं। किसी भी स्तर पर जानकारियां असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन/सेवायें निरस्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर  
नाम - .....

नोट - संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित क्रम में रखा जावे।

#### संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -

1. हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र
3. स्नातक का प्रमाण पत्र
4. कम्प्यूटर डिग्री/ डिप्लोमा का प्रमाण पत्र
5. अनुभव/ अनापत्ति का प्रमाण पत्र
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
7. छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र।
8. अन्य प्रमाण पत्र।